# समक्ष माननीय अध्यक्ष म0प्र0 राजस्व मण्डल कैम्प भोपाल

प्रकरण क्र. निगरानी– /17

भगवान सिहं आ0 श्री भेरूसिहं
निवासी ग्राम बामान्याखेडी तहसील खिलचीपुर
जिला राजगढ म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

1. गोपालसिहं आ0 श्री भेरूसिहं
2. मेहरबानसिहं आ0 श्री गोपालसिहं

निवासीगण ग्राम बामान्याखेडी तहसील खिलचीपुर
जिला राजगढ म.प्र ........अनावेदकगण

## म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

अपीलार्थी विद्वान अनुविभागीय अधिकारी तहसील खिलचीपुर–जीरापुर जिला राजगढ म0प्र0 द्वारा उनके प्रकरण क्र. 89/अ–27/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 06/12/16 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है।

## :: प्रकरण के तथ्य ::

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा अधिनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष ग्राम बामान्याखेडी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ स्थित भूमि खसरा क0 69, 71 एवं खसरा क0 103 रकवा 1.174 हेक्टयर भूमि के बटवारें बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अधिनस्थ तहसील न्यायालय ने प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए प्रकरण क0 27/अ–27/11–12 में पारित आदेश दिनांक 30/06/12 के द्वारा उक्त भूमि का बटवारां करने के आदेश दिये। अधिनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्व अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष अपील प्रस्तुत कि गयी । अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने प्रकरण क0 89/अ–27–अपील/11–12 में पारित आदेश दिनांक 26/10/12 के द्वारा तहसील न्यायालय द्वारा की गयी बटवारें कि कार्यवाही को निरस्त करने के आदेश दिये । अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्व आवेदक द्वारा माननीय अपर आयुक्त भोपाल सभांग भोपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत कि गयी। परन्तु अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने अपर आयुक्त महोदय द्वारा पारित एक अन्य प्रकरण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नरसिहंगढ के प्रकरण क0 42/अ–70/2012–13 में कि गयी कार्यवाही के आधार पर प्रकरण दर्ज करते हुए आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये विना ही राजस्व रिकार्ड को दुरस्त करते हुए फर्द बटान प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये ।

(R- 365 PBR/17 राजगढ़)

| | | |
|---|---|---|
| 25.7.2017 | आवेदक की ओर से श्री प्रेम सिंह अभिभाषक ने उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उभय पक्ष के मध्य समझौता हो जाने से वे प्रकरण नहीं चलाना चाहते हैं। अनुरोध स्वीकार किया जाता है। प्रकरण नहीं चलाने से समाप्त किया जाता है। | 25/7 नगीनाराम |
| | अध्यक्ष | प्र.नि. गोपा |

शाजेमुना — 765 — फार्म — 23-3-13 — 10,000 प्रपत्र.